


—:: आदेश ::—

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-II दिनांक 29.05.2015 की अनुपालना में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 175- राजसमंद के उप चुनाव, 2021 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों की जांच एवं व्यय कम अंकन किये जाने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (DEMC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- 01 भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक
- 02 जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजसमंद
- 03 नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अति० कलक्टर, राजसमंद), निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ

उक्तानुसार गठित जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (DEMC) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा।


  
(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
(कलक्टर) राजसमन्द

दिनांक:- 11/02/21

क्रमांक:एफ37(0)निर्वा/वि.उ.चु./2021/337

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर संभाग, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. पर्यवेक्षक महोदय (व्यय).....।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजसमंद।
5. जिला अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, समस्त.....।
6. नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (अति० कलक्टर, राजसमंद), निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ।
7. प्रभारी अधिकारी, .....।
8. सहायक निदेशक, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, राजसमंद,
9. रिटर्निंग अधिकारी, (वि.स.चु.)(एस.डी.एम.) राजसमन्द।
10. निजी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमन्द।

  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
(कलक्टर) राजसमन्द